कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2018/2448 कांकेर, दिनांक 01/02/2018

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर
भवन सिविल लाईन्स रायपुर (छ.ग.)

विषय :— Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 proposed land for 'Bastar Net' project is about creating an optical fibre backdone network to boost the internet and telecom connectivity across Kanker वन भूमि व्यपवर्तन के संबंध में।

आनलाईन पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/Others/27427/2017**

संदर्भ :— कार्यालयीन पृष्ठांकन पत्र क्रमांक/8265 दिनांक 31.08.2017, 8724 दिनांक 18.09.2017 9088 दिनांक 28.09.2017, 10255 दिनांक 02.11.2017, 10302 दिनांक 25.11.2017 एवं 695 दिनांक 22.01.2018।

—00—

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि, आपके द्वारा कांकेर वन मण्डल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि व्यपवर्तन बाबत् प्रकरण में आनलाईन पंजीयन आबंटित हुआ है। प्रकरण में कार्यवाही हेतु प्राथमिकता के आधार पर संदर्भित पत्र के माध्यम से स्थल के चिन्हांकन के लिए आवश्यक सहयोग हेतु अनुरोध किये गये है, किन्तु आज पर्यन्त तक सहयोग अपेक्षित है, जिसके कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

तत्संबंध में आपके अधिकारी/कर्मचारियों को माह नवम्बर के अंतिम सप्ताह में उक्त प्रकरण के चर्चा के दौरान संबंधित परिक्षेत्र अधिकारियों का मोबाईल नम्बर देते हुए परिक्षेत्र अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रस्तावित भूमि के चिन्हांकन में सहयोग प्रदान करने हेतु अवगत कराया गया था। साथ ही इस संबंध में वन मण्डल के तकनीकी अधिकारी द्वारा भी मोबाईल के माध्यम से परिक्षेत्र अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु अवगत कराया गया है, किन्तु आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा संबंधित परिक्षेत्र अधिकारियों से आज दिनांक तक सम्पर्क स्थापित नहीं किये गये है। चूंकि प्रकरण तैयार करने के पूर्व संयुक्त स्थल निरीक्षण आवश्यक है। संयुक्त स्थल निरीक्षण का कार्य डी.जी.पी.एस. सर्वे के दौरान भी हो जाता, किन्तु डी.

जी.पी.एस. सर्वेक्षण के लिए किसी भी कर्मचारियों के द्वारा वन विभाग से वन भूमि में सर्वेक्षण कार्य किये जाने हेतु किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है।

अतः अनुरोध है कि, कांकेर वन मण्डल के प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने बाबत् आपके अधीनस्थ किसी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को नामांकित करते हुए उनके मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करें, ताकि प्रकरण में त्वरित गति लाने हेतु सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

आपके द्वारा पूर्व में प्रस्तावित रकबा 0.143 हें. पर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन बाबत् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–691/2453 दिनांक 09.08.2017 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत 'Bastar Net' project is about creating an optical fibre backdone network to boost the internet and telecom connectivity across Kanker प्रकरण में आनलाईन पंजीयन क्रमांक – FP/CG/Others/27427/2017 आबंटित किया गया है, किन्तु आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2369 दिनांक 14.12.2017 में दिये गये प्रतिवेदन अनुसार रकबा 1.588 हें. संशोधित करते हुए प्रस्ताव 06 प्रतियों में उपलब्ध कराई गई है।

अतः वर्तमान में प्रस्तावित रकबा के अनुसार आपको पुनः आनलाईन फार्म – ए वेबसाईट में अपलोड करने होगें।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नवीनतम चेक लिस्ट के अनुसार आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्नानुसार अभिलेख/दस्तावेज संलग्न नहीं है :–

01. आवेदित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे के अनुसार प्रत्येक मोड़ पर अस्थायी खूंटी लगाई जायेगी, जिस पर सफेद पेन्ट से पोताई कर हरा पेन्ट से पिल्लर क्रमांक एवं डी.जी.पी.एस. से प्राप्त अशांक्ष एवं देशांश अंकित किया जायेगा। प्रत्येक पिल्लर का फोटोग्राम इस प्रकार लिया जावेगा की फोटोग्राफ में पिल्लर क्रमांक एवं उसका अक्षांश एवं देशांश स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो।

02. डी.जी.पी.एस. सर्वे पाईंट के अनुसार प्रस्तावित स्थल को कक्षवार वन मानचित्र (स्केल 1:15000) में अंकित कर मानचित्र उपलब्ध करावें।

03. प्रस्तावित राजस्व वन भूमि का पॉचशाला खसरा की नकल, मानचित्र एवं समक्ष अधिकारी का हस्तांतरण आदेश के साथ खसरावार अंकित कर राजस्व मैप उपलब्ध करावें।

04. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

05. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न करें।

06. उप खण्ड स्तरीय समिति के अनुशंसा उपरान्त उनके अनुरूप वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर

का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रदर्श – ब एवं प्रदर्श –स) एवं Annexure-I, II में संलग्न करें।

07. आप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु उपयुक्त राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

08. परियोजना के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि उपलब्ध होने या न होने के संबंध में कलेक्टर का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अतः उपरोक्तानुसार अभिलेख/दस्तावेज की पूर्ति कर प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस की जाती है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सम्प्रेषित।

संलग्न – प्रस्ताव मूलतः 06 प्रतियों में

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

पृ. क्रमांक/मा.चि./2018/2444 कांकेर, दिनांक 01/02/2018

प्रतिलिपि –

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर–19 नाथ ब्लाक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

03. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

04. उप वन मण्डलाधिकारी कांकेर/कोरर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

05. परिक्षेत्र अधिकारी कांकेर/कोरर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि, आवेदक विभाग द्वारा स्थल चिन्हांकन हेतु सम्पर्क स्थापित किये जाने पर आवश्यक सहयोग करें एवं साथ ही साथ प्रस्तावित स्थल में प्रभावित वृक्षों की गणना की जानकारी पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करावें तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो तो व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन क्षेत्र रकबा 3.176 हें. वन भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित कर सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित दर 600222.00 रूपये प्रति हें. के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर अविलंब उपलब्ध करावें।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर